न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला. पाली) राज०

पीठासीन अधिकारी : श्री घनश्याम शर्मा , आर०ए०एस०

राजस्व वाद संख्या : 103/2012

वादीगण :-

1. कमला पत्नि बाबूलाल
2. भागवती पत्नि माणकचन्द

जातियान-सुथार, निवासी-आगेवा, तह.-जैतारण, जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सत्तारखां पुत्र दाउद खां
2. लाल खां पुत्र दाउद खां

जातियान-मुसलमान लुहार निवासीगण-गरनिया

3. ओमाराम पुत्र पुखा
4. अणचाई पुत्र पुखा
5. नारायण पुत्र गुदड़
6. हापू पुत्र गुदड़
7. सगराम पुत्र शिवा
8. धन्ना पुत्र शिवा
9. सुवा बेवा चुना
10. गोगली बेवा पेमा
11. मलाराम पुत्र पेमा
12. हड़मान पुत्र पेमा

जातियान-कुमार (कुम्हार), निवासीगण - गरनिया तहसील-जैतारण, जिला-पाली

13. तहसीलदार, एवं उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण तहसील-जैतारण, जिला-पाली

<u>राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955</u> <u>तारीख रजू:.02.05.2012</u>

उपस्थितः- 1. श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, वादीगण उपस्थित।
2. श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उप०।

-:: निर्णय ::- **दिनॉकः- 21/05/2015**

वकील मय वादीगण ने एक राजस्व वाद बाबत् बंटवाड़ा एवं स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53 एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, के तहत् इस आशय का पेश किया कि सरहद मौजा-गरनिया, तहसील-जैतारण (जिला-पाली) में वादीगण की खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 14, खसरा नम्बर 142 रकबा 17-06 बीघा किस्म बा०अ० की आई हुई हैं। उक्त वर्णित कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 12 की शामलाती हैं तथा उक्त कृषि भूमि खाता संख्य नई 14 तथा खसरा नम्बर 142 में वादी संख्या 1 का 1/8 व वादी संख्या 2 का 1/8 हिस्सा कायम हैं, यानि वादीगण का उक्त कृषि भूमि में 1/4 हिस्से के काबिज खातेतदार हैं। इसी हिस्से माफिक वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 से 12 काबिज होकर काश्त करते हैं, प्रतिवादी संख्या 1 से लगायत 12 आई दिन वादीगण के हिस्सेदारी में आयी जमीन पर दखल करते हैं

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 तमाम उक्त जमीन को बेचने पर उतारू हैं तथा प्रतिवादी संख्या 1 से 12 को वादीगण के हिस्से में दखलन्दाजी करने का कोई अधिकार नहीं हैं तथा दिनांक 20/04/2012 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने वादीगण को धमकी दी हैं कि वे वादीगण के हिस्से की कृषि भूमि पर जबरन कब्जा करेंगे। उक्त जमीन का बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस बंटवाड़ा किया जाकर अलग-अलग खाता खोले जाकर मौके पर नेखमबन्दी की जाकर मुड्डे रोपे जावें। ताकि वादीगण अपनी जमीन में खाद बीज डालकर जमीन को उपजाऊ बना सकें तथा उक्त तरीके से खेती कर सकें। प्रतिवादी संख्या 13 लैण्ड होल्डर हैं तथा बंटवाड़ा के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से पक्षकार बनाये गये हैं। प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने वादीगण को धमकी दी कि तुम्हारा (वादीगण का) जमीन में कोई नाम नहीं हैं तथा क्या मांगते हो। तब वादीगण को दावा करने की नौबत उत्पन्न हुई हैं। बिनायवाद दिनांक 20/04/2012 को प्रतिवादी संख्या 1 से 12 ने उक्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 142 पर कोई हक व अधिकार नहीं होने की धमकी देने से गांव-गरनिया, तहसील-जैतारण में उत्पन्न हुआ, जो अदालत हाजा के क्षैत्राधिकार व हक अख्तियार व अन्दर म्याद पेश किया हैं। इस प्रकार वकील वादीगण ने माफिक दावा वाद डिक्री किया जाकर उक्त विवादित भूमि का बंटवाडा बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस् बंटवाडा किये जाने की ईशतदुआ की हैं। इस पर राजस्व वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण जरिए सम्मनस वास्ते ज0दा0 तलब किये गये। दिनांक 30.09.2014 को प्रति सं. 3,5,6,10 से 12 को बावजूद तामिली/सूचना तथा दिनांक 20.12.2012 को प्रतिसं. 4,7 से 9 तथा 13 को बावजूद तामिली/सूचना बार-बार आवाजें दिलाये जाने पर भी अनुपस्थित रहने से इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गई। प्रतिवदीगण सं. 1 व 2 की ओर से श्री राजेन्द्र गुर्जर अधिवक्ता ने दिनांक 20.12.2012 को वकालतनामा पेश किया, सा0मि0 किया गया। दिनांक 20.12.2012 से लगातार ज0दा0 पेश करने का अवसर दिये जाने पर भी ज0दा0 पेश करने में विफल रहने से अवसर समाप्त किया जाकर ज0दा0 बन्द किया गया। तहसीलदार, जैतारण को आदेशित/अधिकृत कर उक्त विवादित भूमि का मौके पर बंटवाडा/विभाजन बाईमिट्स एण्ड बाउण्डस् किया जाकर फर्द मौका दिनांक 21.05.2015 प्रस्तुत हुए, सा0मि0 किया गया।

पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र गरनिया पर पेश हुई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत वाद-पत्र मय शपथ-पत्र एवं दस्तावेजात तथा विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 का गहनता पूर्वक अध्ययन कर उपस्थित पक्षकारानों को सुना गया। बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। वस्तुतः माफिक बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 अनुसार वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा किया जाना उचित समझते हैं।

-::आदेश::-

अतः माफिक विभाजन प्रस्ताव/बंटवाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद गरनिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 142 रकबा 17 बीघा 06 बिस्वा बा0अ0 में वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बंटवाडा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं-

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	कमला पत्नि बाबूलाल भागवती पत्नि माणकचन्द सुथार सा0 आगेवा	142/1	4.06	बा0अ0
2	सतार खां, लाल खां पि0 दाउद खां कौम मुसलमान लवार ओमाराम पुत्र पुखा अणचाई पत्नि पुखा नारायण हापू पि0 गुदड़ सगराम धन्ना पि0 शिवा सुवा बेवा चूना गोगली बेवा पेमा मलाराम हडमान पि0 पेमा कौम कुमार सा0 देह खातेदार	142	13.00	बा0अ0

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। डिक्री पर्चा पृथक से बनाया जाकर सामिल मिसल किया गया। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाड़ा/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 की छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लख्य भण्डार जमा हो।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

निर्णय आज दिनॉक 21.05.2015 को राजस्व लोक अदालत अटल सेवा केन्द्र–गरनिया पर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी जैतारण
जिला–पाली (राज0)

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकदमें इस्तदाई

(ओ 21 रूल 6,7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :- उपखण्ड अधिकारी, मुकाम:- जैतारण

बईजलास :- श्री घनश्याम शर्मा , आर0ए0एस0

वादीगण :-

1. कमला पत्नि बाबूलाल
2. भागवती पत्नि माणकचन्द

जातियान-सुथार, निवासी-आगेवा,
तह.-जैतारण; जिला-पाली(राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण :-

1. सत्तारखां पुत्र दाउद खां
2. लाल खां पुत्र दाउद खां

जातियान-मुसलमान लुहार
निवासीगण-गरनिया

3. ओमाराम पुत्र पुखा
4. अणचाई पुत्र पुखा
5. नारायण पुत्र गुदड़
6. हापू पुत्र गुदड़
7. सगराम पुत्र शिवा
8. धन्ना पुत्र शिवा
9. सुवा बेवा चुना
10. गोगली बेवा पेमा
11. मलाराम पुत्र पेमा
12. हड़मान पुत्र पेमा

जातियान-कुमार (कुम्हार),
निवासीगण - गरनिया
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

13. तहसीलदार, एवं
उप पंजीयन अधिकारी, जैतारण
तहसील-जैतारण, जिला-पाली

राजस्व वाद बाबत् बंट्वाड़ा व स्थाई आराजी अन्तर्गत धारा 53 व 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

मु0न0 :रा0वा0 स0: 103/2012

यह मुकदमा आज वास्ते ईनफिसाल कतई रुवरु ....-........ व हाजरी श्री धर्मेश जांगिड़, अधिवक्ता, वादीगण उपस्थित मिनजानिब मुद्धई व श्री राजेन्द्र कुमार गुर्जर, अधिवक्ता, प्रतिवादीगण सं. 1 व 2 उप0 मिनजानिब मुद्धायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि माफिक विभाजन प्रस्ताव/बंट्वाडा रिपोर्ट मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 डिक्री बहक वादीगण विरुद्ध प्रतिवादीगण इस अमर की सादिर की जाती हैं कि सरहद गरनिया में स्थित कृषि भूमि ख.नं. 142 रकबा 17 बीघा 06 विस्वा बा0अ0 में वादीगण की भूमि का पक्षकारानों में बंट्वाडा निम्नांकित रूप से किया जाता हैं-

क्र.सं.	नाम खातेदार	ख.नं.	रकबा	किस्म
1	कमला पत्नि वाबूलाल भागवती पत्नि माणकचन्द सुथार सा0 आगेवा	142/1	4.06	बा0अ0
2	सतार खां, लाल खां पि0 दाउद खां कौम मुसलमान लवार ओमाराम पुत्र पुखा अणचाई पत्नि पुखा नारायण हापू पि0 गुदड़ सगराम धन्ना पि0 शिवा सुवा बेवा चूना गोगली बेवा पेमा मलाराम हडमान पि0 पेमा कौम कुमार सा0 देह खातेदार	142	13.00	बा0अ0

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Scanned by CamScanner

तदानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद/तरमीम किया जावें। बंटवाडा रिपोर्ट/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 निर्णय का एक भाग माना जावें। तहसीलदार जैतारण को डिक्री पर्चा एवं बंटवाडा/विभाजन प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 21.05.2015 की छायाप्रति भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लख्य भण्डार जमा हों।

नीज .....–.....मुबलिक.....–.....बाबत......–.....खर्चा इस मुकदमें मय सूद व शहर ....–......फीस सदी सालाना आज की तारीख वसूल याबी तक .....–......को अदा करें।

बसिब्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 21.05.2015 को जारी किया गया ।

मोहर

उपखण्ड अधिकारी,जैतारण
जैतारण (पाली)
(जिला–पाली)

मुद्दई	रुपये पैसे	मुद्दायलाह	रुपये पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2=00	स्टाम्प वकालतनामा	1=00
स्टाम्प वकालतनामा	1=00	स्टाम्प अर्जी	
स्टाम्प वजह सबूत	1=00	महनताना वकील	
महनताना वकील	—	खर्चा गवाहान	
खर्चा गवाहान	4=00	फीस कमीश्नर	
फीस कमीश्नर	—	बाबत ईजराय हुक्मनामा	
बाबत ईजराय हुक्मनामा	—	मुत्फरिक	
मिजानः–	8=00	मिजानः–	1=00

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा यह हो फरीकेन को चाहे डिक्री के जरिए दिलाया गया हो, नहीं दर्ज किया जावें ।

Scanned by CamScanner